न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

वाद सं. 22/2018

उनवान

1. जगदीश स्वामी दत्तक पुत्र स्व. भगवानदास जाति स्वामी निवासी ग्राम कानरपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. गोपाल पुत्र जगदीश स्वामी जाति स्वामी निवासी ग्राम कानरपुरा तहसील चौमूं,जयपुर।
3. नरेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश स्वामी जाति स्वामी निवासी ग्राम कानरपुरा तहसील चौमूं,जयपुर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. कैलाश चन्द दत्तक पुत्र बालदास
3. रामेश्वर पुत्र स्व. नारायणदास
4. भूरादास पुत्र स्व. नारायणदास
5. लालचन्द पुत्र स्व. नारायणदास
6. मक्खन पुत्र स्व. नारायणदास
7. मुरलीधर पुत्र स्व. नारायणदास

समस्त जाति स्वामी निवासी ग्राम कानपुरा तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू0राजस्व अधि0 1956

निर्णय दिनांक—06.01.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि वाके ग्राम कानरपुरा पटवार हल्का घिनोई भू.अ.नि. क्षेत्र कालाडेरा तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित भूमि खाता सं0 65 जिसके आराजी ख0नं0 110 रकबा 0.61 है0, ख0नं0 111/1044 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 110/1042 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 112/1043 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 113 रकबा 0.60 है0, ख0नं0 133 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 134 रकबा 1.54 है0, ख0नं0 135/2 रकबा 2.28 है0, कुल किता 8 का कुल रकबा 5.24 हैक्टर भूमि के संपूर्ण भाग की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तथा उक्त भूमि पर प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि के चारों ओर अर्से दराज से कच्ची सींव डोल बनाकर काबिज खातेदार काबिज होकर अर्से दराज से हर प्रकार से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, जो कि भूमि विवादग्रस्त है। प्रार्थीगण की विवादग्रस्त खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि में बोई गई फसलों को आवारा गाये, जानवर पशु आये दिन नुकसान कारित कर रहते हैं साथ ही अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 7 जो कि विवादग्रस्त भूमि के पूर्वी व दक्षिणी साइड के खातेदार हैं, जो आये दिन प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने की गरज से निर्माण कार्य करते रहते हैं, तथा फसलों में घुस कर नुकसान पहुंचाने की गरज से तारबन्दी को तोडकर जबरन अतिक्रमण करने पर आमादा रहते हैं, इसी आशय से दिनांक 02.04.2017 को उक्त अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 7 ने प्रार्थीगण की भूमि विवादग्रस्त में जबरन कब्जा करने की गरज से पत्थर आदि डाल दिये तथा नाजायज रूप से कब्जा करने का प्रयास किया। जिसके चलते प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि को अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 7 के कुत्सचित्त उद्देश्यों की पूर्ति न हो इस हेतु विवादग्रस्त आराजी की पत्थरबन्दी करवाने हेतु तहसीलदार चौमूं को प्रार्थना पत्र दिया जिस पर तहसीलदार चौमूं के आदेश क्रमांक भू.अ./2017/1953 दिनांक 24.05.2017 को जारी किये गये। इस क्रम में पटवारी हल्का घिनोई द्वारा सीमाज्ञान आदेश दिनांक 24.05.2017 की पालना में दिनांक 30.05.2018 को मौके पर जाकर जांच की गई तथा सही पाकर सीमाज्ञान किया गया तथा फर्द मौका रिपोर्ट तौके पर तैयार की गई, तथा मौका रिपोर्ट तैयार करने के पश्चात गवाहान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट बनाई तथा सीमाज्ञान रिपोर्ट में ही प्रार्थी की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान किया जाकर सीमाओं को फर्द

Scanned with CamScanner

ौके के साथ मौका रिपोर्ट में दर्शित किया। प्रार्थीगण ने उक्त सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार महोदय चौमूं को प्रार्थना पत्र दिया, परन्तु बार बार जाने के पश्चात् भी आज तक तहसीलदार महोदय द्वारा पत्थरगढी नहीं की गई। जिसका फायदा उठाकर अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 7 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में जबरन पत्थर आदि डालकर नाजायज रूप से कब्जा करने का प्रयास करने लगे। प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी करने हेतु अप्रार्थी सं. 1 के कार्यालय में कई बार प्रार्थना पत्र दिये परन्तु तहसीलदार चौमूं द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी नहीं की गई, एवं दिनांक 10.06.2018 को तहसीलदार महोदय चौमूं ने प्रार्थीगण को पत्थरगढी करने से साफ इन्कार करते हुये कहा कि न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्थरगढी के आदेश करवाओ, उसके बाद ही पत्थरगढी होगी। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अंत में में निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम कानरपुरा पटवार हल्का घिनोई भू.अ.नि. क्षेत्र कालडेरा तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 110, 110/1044, 111/1042, 112/1043, 113,133, 134, 135/2 कुल किता 8 का कुल रकबा 5.24 हैक्टर भूमि संपूर्ण की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं0 2 बावजूद तामील अनुपस्थित हैं। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं शेष अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 30.05.2018 को तहसीलदार साहब चौमूं के आदेश की पालना में पटवारी द्वारा किया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमूं को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 30.05.2018 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2020को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.03.05 16:23:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: